(3)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

बइजलास – श्री सन्तोष कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 71/2022/राजस्व वाद एवं 58/2022/प्रार्थना पत्र

उनवान

1. मोहम्मद जूबेर पि. ऐजाज मोहम्मद जाति मुसलमान नि. पिडावा

– वादीगण

बनाम

1. इन्तियाजअली पि. मुमताजअली जाति मुसलमान नि.पिडावा
2. मेहबूबअली पि. मुमताजअली जाति मुसलमान नि.पिडावा
3. [illegible] बी [illegible] मुमताजअली जाति मुसलमान नि.पिडावा
4. सहादतअली पि.मोहम्मदअली जाति मुसलमान नि.पिडावा
5. मन्सुरअली पि.मोहम्मदअली जाति मुसलमान नि.पिडावा
6. [illegible] शोकतअली जाति मुसलमान नि.पिडावा
7. [illegible] पुत्री शोकतअली पत्नि रईस खां जाति मुसलमान नि.पिडावा
8. अहसान पुत्र शोकतअली जाति मुसलमान नि.पिडावा
9. [illegible] पठान पुत्री शोकतअली जाति मुसलमान नि.पिडावा
10. शानू पुत्री शोकतअली जाति मुसलमान नि.पिडावा
11. [illegible]राबी पुत्री शोकतअली पत्नि सलीम मोहम्मद जाति मुसलमान नि.पिपलीपुरा .
12. मोहम्मद आसी पुत्र कदीरन जाति मुसलमान नि. पिडावा ,
13. अब्बासअली सेयद पुत्र मुमताजअली मुसलमान नि. पिडावा
14. अययुबअली पुत्र मकसुदअली जाति मुसलमान नि. पिडावा
15. फकीर मोहम्मद पुत्र मुमताजअली जाति मुसलमान नि.पिडावा.
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिडावा तहसील पिडावा

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 रा.टी.एक्ट एवं प्रार्थना पत्र धारा 212 रा.टी.एक्ट में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आर्डर 7 नियम 11 सी.पी.सी.

उपस्थिति – वकील वादी – श्री नीलकमल त्रिवेदी

वकील प्रतिवादी – श्री इकबाल अहमद खान

(सन्तोष कुमार मीना,
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2022.08.30 11:25:04 IST
Reason: SelfAttested

COURT 2022

Scanned with OKEN Scanner

(4)

निर्णय दिनांक : 18/08/2022

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा ग्राम पिडावा तहसील पिडावा की जमाबंदी सं 2074–77 के खाता सं. 632 की आराजी ख.नं. 1072 रकबा 0.1265 हेक्टर एवं खाता सं. 635 की आराजी किता 3 रकबा 0.2149 भूमि के संबंध में राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 88, 188, 209 के तहत वाद एवं राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 212 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात में से ख.नं. 1072 रकबा 0.1265 हेक्टर में से 50 × 100 = 5000 वर्ग फीट भूमि को छोडकर शेष आराजियात के बेचान का इकरारनामा दिनांक 30.01.2009 को वादी/प्रार्थी के पिता मोहम्मद एजाज पि. मोहम्मद रमजानी नि. पिडावा के पक्ष में लिखा कर बेचान की गई थी। इकरारनामें के अनुसार अप्रार्थी सं. 1 लगायत 10 ने ख.नं. 1069 , 1070 , 1071 के अपने हिस्से का बयनामा प्रार्थी के पिता की मृत्यु के बाद प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 21.10.2020 को उप पंजीयक पिडावा में तस्दीक करवा दिया परन्तु शेष हिस्सा जिसमें खातेदारान की मृत्यु हो गई उनके वारीसान द्वारा प्रार्थी के पक्ष में बयनामा तस्दीक नहीं करवाया। अतः ग्राम पिडावा की आराजी ख.नं. 1072 , 1069 , 1070 , 1071 भूमि का बेचान व हस्तानान्तरण नहीं करने बाबत अस्थाई/स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर वादी/प्रार्थी को खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जावे।

प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब करने पर प्रतिवादी सं. 1, 2, 3, 6, 8, 10 की ओर से एडवोकेट श्री इकबाल इहमद खान ने वकालामनामा प्रस्तुत किया।

दौराने सुनवाई वकील प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 212 रा.टी.एक्ट का जवाब एवं आर्डर 7 नियम 11 सी.पी.सी. व आर्डर 22 नियम 9 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अब्दुल गनी की ओर से एडवोकेट शहजादी गौरी ने वकालातनामा प्रस्तुत कर आर्डर 1 नियम 10 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज प्रस्तुत किया।

वकील वादी/प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र आर्डर 7 नियम 11 सी.पी.सी. व आर्डर 22 नियम 9 सी.पी.सी. व आर्डर 1 नियम 10 सी.पी.सी. का जवाब प्रस्तुत किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2022.08.30 11:25:01 IST
Reason: SelfAttested

(संन्तोष कुमार मीना),
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

COURT 2022

Scanned with OKEN Scanner

(6)

प्रकरण में प्रार्थना पत्र आर्डर 7 नियम 11 सी.पी.सी. व आर्डर 22 नियम 9 सी.पी.सी. व आर्डर 1 नियम 10 सी.पी.सी. पर उभयपक्षकारान विद्वांन अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस उभयपक्षकारान अभिभाषकगण RRD-14.09.20106 , RRD 1991 page 209-211 , RRD-14.05.2018 page 276-283 , RRT 2021(2) page 919-927 , RRT 2011-12(sup) page 71-74 , RRT 2021(2) page 991-995 की न्यायिक नजीरे पेश की।

आर्डर 7 नियम 11 सी.पी.सी. प्रार्थना पत्र बाबत वकील प्रतिवादी/अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि वाद/प्रार्थना पत्र आर्डर 7 नियम 11 सी.पी.सी. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर मूल प्रकरण में न जवाब की आवश्यकता है न ही शहादत की आवश्यकता है। जो वाद/प्रार्थना पत्र अन रजिस्टर्ड इकरारनामें के आधार पर पेश किये गये हो उन्हे सुनने का क्षेत्राधिकार मात्र सिविल न्यायालय को है। अन रजिस्टर्ड इकरारनामें के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। इस प्रकार के प्रकरण में जवाब दावे व शहादत की जरूरत नहीं है। अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक नजीरे पेश की। आर्डर 7 नियम 11 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद एवं प्रार्थना पत्र 212 रा.टी.एक्ट खारीज फरमाया जावे।

वकील वादी/प्रार्थी ने बहस में अवगत कराया कि वाद करार व प्रतिकूल कब्जे के आधार पर हो तो विशेष तनकी बननी चाहिये ना कि आर्डर 7 नियम 11 सी.पी.सी. के अन्तर्गत वाद खारीज किया जावे। प्रतिवादीगण को वाद में जवाब दावा प्रस्तुत करे ताकि विशेष तनकी का निर्धारण कर विधिवत सुनवाई कर निर्णय पारित हो। वादी द्वारा अपने वाद पत्र की चरण सं. 6 में वाद हेतुक स्पष्ट किया है जिससे प्रथम स्टेज पर वादी खारीज नहीं किया जाना चाहिये। वादी/प्रार्थी वादग्रस्त आराजियात के कुछ हिस्से का खातेदार टीनेन्ट है। अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक नजीरे पेश की। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत आर्डर 7 नियम 11 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र खारीज किया जावे।

पत्रावली, राजस्व रिकार्ड , न्यायिक नजीरे , आर्डर 7 नियम 11 सी.पी.सी. व आर्डर 22 नियम 9 सी.पी.सी. व आर्डर 1 नियम 10 सी.पी.सी. प्रार्थना पत्रो व जवाब प्रार्थना पत्रो का अवलोकन किया गया एवं उभयपक्षकारान विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में यह पाया [illegible]/प्रार्थी अन रजिस्टर्ड इकरारनामें के आधार पर खातेदारी [illegible] है जिसके आधार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2022.08.30 11:25:01 IST
Reason: SelfAttested

COURT 2022

3

(सन्तोष कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

(6)

खातेदारी अधिकार प्रोद्यभूत नहीं होते है। प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत आर्डर 7 नियम 11 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। वाद एवं प्रार्थना पत्र 212 रा.टी.एक्ट खारीज किया जाता है।

चूंकि प्रकरण में आर्डर 7 नियम 11 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार होने से आर्डर 22 नियम 9 सी.पी.सी. व आर्डर 1 नियम 10 सी.पी.सी. का कोई औचित्य नहीं है इस कारण इनके निर्णय की आवश्यकता नहीं है।

आदेश

अतः प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत आर्डर 7 नियम 11 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी/प्रार्थी का वाद एवं प्रार्थना पत्र 212 रा.टी.एक्ट खारीज किया जाता है।

निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सन्तोष कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

(सन्तोष कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2022.08.30 11:25:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner